अनुबंध IV

समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्ट (सीपीआर) भरने के संबंध में मार्गदर्शन

1. प्रस्तावना

समेकित विवेकपूर्ण विवरणी (सीपीआर) का उद्देश्य उस समूह के स्तर पर समेकित विवेकपूर्ण सूचना एकत्र करना है, जिससे पर्यवेक्षित संस्था संबद्ध है। इसका उद्देश्य मुख्यत: निम्नलिखित क्षेत्रों पर आंकड़े प्राप्त करना है:

(i) निर्धारित फॉर्मेट में समेकित तुलन पत्र डेटा

(ii) निर्धारित फॉर्मेट में समेकित लाभ और हानि लेखा

(iii) समेकित एआईएफआई की वित्तीय/ जोखिम प्रोफाइल पर चयनित डेटा: निर्धारित प्रारूप के अनुसार समेकित वित्तीय डेटा, बड़े एक्सपोजरों पर डेटा, विदेशी मुद्रा एक्सपोजर, समूह के सीआरआर तथा एसएलआर तथा संपूर्ण समेकित एआईएफआई के लिए संरचित चलनिधि प्रोफाइल।

2. विवरणी की आवधिकता

विवरणी की आवधिकता अर्ध-वार्षिक, अर्थात् 31 मार्च/30 सितंबर[20] 23 को होगी।

3. सामान्य दिशानिर्देश

सीपीआर के एक भाग के रूप में समेकित तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखा का संकलन करने हेतु समेकित वित्तीय विवरण (सीपीएस) तथा समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्टें (सीपीआर) तैयार करने के लिए सामान्य दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

4. सीपीआर (अनुबंध III)

(i) समेकित एआईएफआई के लिए वित्तीय स्थिति

फॉर्मेट के अनुसार समेकित वित्तीय डेटा (समेकित एआईएफआई के स्तर पर) के लिए तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए सामान्य मार्गदर्शन का प्रयोग किया जाए।

(ii) बड़े एक्सपोजर

एक समूह के किसी एकल उधारकर्ता अथवा उधारकर्ता समूह को एक्सपोज़र में निधीकृत तथा गैर-निधीकृत, दोनों एक्सपोज़र शामिल होते हैं। एक्सपोजर सीमाओं, बकाया राशि अथवा मंजूर सीमा के प्रयोजन से जो भी अधिक हो, उसे रिपोर्ट किया जाएगा। रिपोर्टिंग संस्था द्वारा इस भाग के संकलन के लिए समेकित एआईएफआई की विभिन्न इकाइयों के एक्सपोजरों का समेकन किया जाना अपेक्षित होगा। निधीकृत एक्सपोजर में ऋण और अग्रिम (खरीदे गए / भुनाए गए बिलों सहित), तथा बांडों/डिबेंचरों और इक्विटी में निवेश शामिल किए जाएंगे। गैर निधीकृत एक्सपोजरों

[20] एनएचबी के मामले में 30 जून/31 दिसंबर

में गारंटियां (वित्तीय), गारंटियां (वित्तेतर) साख-पत्र, हामदारियां, प्रतिबद्धताएं आदि शामिल किए जाएंगे।

समेकित एआईएफआई द्वारा एकल उधारकर्ता/ कर्जदार के प्रति एक्सपोजर उसकी पूंजी निधियों के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। समेकित एआईएफआई द्वारा उधारकर्ता/ कर्जदार समूह के प्रति एक्सपोजर उसकी पूंजी निधियों के 40% से अधिक नहीं होने चाहिए। किसी उधारकर्ता/ कर्जदार समूह के प्रति समग्र एक्सपोजर 40% के एक्सपोजर मानदंडों से अतिरिक्त 10% हो सकता है (अर्थात् 50% तक), बशर्ते यह अतिरिक्त एक्सपोजर इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए होगा। पूंजी निधियों, एक्सपोजर आदि की गणना एआईएफआई के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली के अनुरूप होगी।

इस भाग में, ऐसे मामले रिपोर्ट किए जाएंगे, जहां एकल उधारकर्ता अथवा उधारकर्ता समूह के मामले में विनियामक मानदंडों का उल्लंघन हुआ है। इसमें समेकित एआईएफआई द्वारा एकल उधारकर्ता/ कर्जदार समूह के प्रति कम से कम शीर्षस्थ 20 बड़े एक्सपोजरों को रिपोर्ट किया जाएगा।

(iii) विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) एक्सपोजर

यहां समेकित एआईएफआई के लिए एक दिवसीय खुली स्थिति सीमाओं (Overnight Open Position Limits) का योग रिपोर्ट किया जाएगा। जहां भी एक दिवसीय खुली स्थिति सीमाएं निर्धारित नहीं की गई हैं, वहां ऐसी इकाइयों के लिए अवधि के दौरान अधिकतम एक दिवसीय खुली स्थिति सीमाओं को समेकन के लिए लिया जाएगा। संस्थाओं में नेटिंग किए बिना स्थिति को रिपोर्ट किया जाए।

(iv) पूंजी बाज़ारों के प्रति एक्सपोजर

पूंजी बाजार एक्सपोजरों की गणना मूल एआईएफआई के लिए गणना के समान ही होगी। पूंजी बाजार को अग्रिम (निधि आधारित) में व्यक्तियों को ऋण, शेयर तथा स्टॉक ब्रोकर, मार्केट मेकरों को शामिल किया जाएगा, जबकि पूंजी बाजार में गैर निधि-आधारित सुविधाओं में स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक ब्रोकरों की ओर से जारी वित्तीय गारंटियों तथा अन्य वित्तीय गारंटियों को शामिल किया जाएगा। पूंजी बाजार में इकविटी निवेश में इक्विटी, इक्विटी-उन्मुख मुच्युअल फंड तथा परिवर्तनीय बांड और डिबेंचर शामिल किए जाएंगे।

(v) समेकित एआईएफआई के लिए संरचित चलनिधि स्थिति

इस भाग में पूरे समेकित एआईएफआई के नकद अंतर्प्रवाहों तथा बहिर्प्रवाहों की परिपक्वता संरचना को कैप्चर किया जाना अपेक्षित है, जिसे 8 परिपक्वता खानों में बांटा गया है। समेकित एआईएफआई द्वारा इन 8 समय-दलों (टाइम बैंड) में किए गए परिपक्वता असंतुलन अथवा अंतर समेकित एआईएफआई द्वारा समाना किए जाने वालए चलनिधि जोखिम को दर्शाएंगे। अंत:-समूह लेनदेनों और एक्सपोजरों को इस समेकन में शामिल नहीं किया जाएगा।